आदेश की क्रम–संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी,तारिख सहित 3

13/10/17

आदेश

अपर समाहर्त्ता, लोक शिकायत निवारण–सह–जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बांका के द्वारा प्रथम अपील में दिनांक–28.07.2017 को पारित आदेश के आलोक में परिवादी सदाशिव देव, पिता–राजेन्द्र देव, ग्राम–इटहरी, पोस्ट–फुल्लीडुमर, थाना–फुल्लीडुमर, जिला–बांका के द्वारा द्वितीय अपील दायर किया गया है जिसका अनन्य संख्या–523110115031701285/2A वर्ष–2017 सदाशिव देव बनाम् अंचल अधिकारी, फुल्लीडुमर है।

इस संबंध में अंचल अधिकारी, फुल्लीडुमर से प्रतिवेदन की मांग की गयी। अनुपालन में पत्रांक–527 दिनांक–13.10.17 द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। अपीलार्थी मात्र एक तिथि को उपस्थित होकर अन्य निर्धारित तिथि पर लगातार अनुपस्थित रहे है।

अभिलेख पर अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बांका का आदेश दिनांक–29.05.17 एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकार द्वारा दिनांक–28.07.17 को पारित आदेश की प्रति परिवादी द्वारा दाखिल किया गया है।

दोनों प्राधिकारों द्वारा अंचल अधिकारी, फुल्लीडुमर को अतिक्रमण वाद सं0–01/17–18 का निष्पादन सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया तथा तद्आलोक में परिवादी द्वारा द्वितीय अपील दायर किया गया है।

अंचल अधिकारी, फुल्लीडुमर के पत्रांक–527 दिनांक–13.10.17 द्वारा प्रतिवेदित है कि अतिक्रमण वाद संख्या 01/17–18 में दिनांक–12.10.17 को आदेश पारित कर अतिक्रमण वाद का निष्पादन कर दिया गया है। पारित आदेश की प्रति संलग्न है।

अतः उक्त दोनों प्राधिकारों के आदेश के अनुपालन में अंचल अधिकारी, फुल्लीडुमर द्वारा अतिक्रमण वाद सं0–0/17–18 का निष्पादन किया गया है। तद्आलोक में इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित

जिला पदाधिकारी,
बांका

जिला पदाधिकारी
–सह–
द्वितीय अपीलीय प्राधिकार,
जिला लोक शिकायत निवारण,
बांका।